बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (गोपालगंज) 02–58/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री पंकज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बैकुंठपुर, गोपालगंज के विरूद्ध समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–04/स्था0, दिनांक–12.01.2026 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अन्यथा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाईन जमाबंदी पंजी में बिना किसी साक्ष्य के जमाबंदी संख्या–748/71 में हेरा–फेरी किये जाने/परिवादी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने/अपर समाहर्त्ता–सह–नोडल पदाधिकारी, जिला निगरानी कोषांग, गोपालगंज द्वारा कतिपय पत्र दिये जाने के बावजूद जाँच प्रतिवेदन के साथ–साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन तथा राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने जैसे आरोपों के लिए विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित किया गया।

2. गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–725(15), दिनांक–03.06.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अंचल कार्यालय, सिसवन (सिवान) के पत्रांक–653, दिनांक–20.06.2026 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. गठित आरोपों एवं समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन के परिशीलन/समीक्षोपरांत पाया गया कि मौजा–भगवानपुर, थाना सं0–342 की जमाबंदी सं0–784/71 की ऑनलाईन जमाबंदी पंजी में खाता सं0–205, सर्वे सं0–211 में रकवा–शून्य जोड़कर कुल रकवा–0.66 डिसमिल अनुमोदित किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रविष्टि किये जाने अथवा ऑपरेटर एवं राजस्व कर्मचारी की अनुशंसा का उल्लेख किये जाने मात्र से संबंधित प्रविष्टि की वैधता तथा अंचलाधिकारी की जबावदेही स्वतः समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परिवादी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आरोपी द्वारा अंकित किया गया है कि आवेदन प्रधान सहायक, अंचल कार्यालय, बैकुंठपुर द्वारा समय पर उनके संज्ञान में नहीं लाया गया, जिसके कारण समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, जो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि यदि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मियों के कार्यों का नियमित एवं समूचित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण किया गया होता तो परिवादी को वांछित सूचना ससमय उपलब्ध कराई जा सकती थी। इसी क्रम में किसी पदाधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से तथ्य प्रस्तुत कर देना, विधिवत माँगे गए लिखित स्पष्टीकरण/तथ्यात्मक प्रतिवेदन अथवा राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने के दायित्व का स्वतः विकल्प नहीं है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता, उदासिनता एवं लापरवाही बरती गई है, अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह चूँक की गई है। उक्त तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का बचाव का लिखित अभिकथन (स्पष्टीकरण) स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. अतः श्री कुमार से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन (स्पष्टीकरण) स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने, आरोप की प्रकृति एवं विभागीय समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को **"संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

कृ0पृ0उ0

DIC

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार **श्री पंकज कुमार, राजस्व अधिकारी—सह—कानूनगो, जिला भू—अर्जन कार्यालय, सीतामढ़ी (तत्कालीन अंचल अधिकारी, बैकुंठपुर, गोपालगंज)** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथा संशोधित) के निमय—14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।

ई—मेल/
स्पीड—पोस्ट

ज्ञापांक—**15/आरोप (गोपालगंज) 02—58/2024**— (15)/रा0, पटना—15, दिनांक—.....

प्रतिलिपि :— समाहर्त्ता, गोपालगंज (पत्रांक—04/स्था0, दिनांक—12.01.2026 के प्रसंग में)/समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं गोपालगंज/**श्री पंकज कुमार, राजस्व अधिकारी—सह—कानूनगो, जिला भू—अर्जन कार्यालय, सीतामढ़ी (तत्कालीन अंचल अधिकारी, बैकुंठपुर, गोपालगंज)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—**15/आरोप (गोपालगंज) 02—58/2024**— 2125 (15)/रा0, पटना—15, दिनांक— 12/11/26

प्रतिलिपि :—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल/ प्रति**)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री कुमार के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा—15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

12/11/26
(संजय कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।